इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी (आई एम एस डी)

दस्तावेज़

हम कौन हैं?

आई एम एस डी उन हिन्दुस्तानी मुसलमानों का मंच है जो संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा और भारतीय संविधान में दर्ज लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, समानता और न्याय आधारित मूल्यों में विश्वास रखते हैं. इसका मानना है कि ये मूल्य इस्लाम की बुनियादी तालीम के मुताबिक़ हैं.

यह मंच इस्लाम के उदार पक्ष की परम्परा को बहाल करने के साथ-साथ भारतीय मुसलमानों में तरक्कीपसंदी और रोशन ख्याली का एहसास जगाने का मकसद रखता है ताकि वे भारत में आत्मसम्मान और अमन की भावना के साथ आपस में और देश के दूसरे धर्मों के लोगों के साथ मिलजुल कर रह सकें.

आई एम एस डी तरक्कीपसंद मुसलमानों का एक स्वतंत्र राष्ट्रीय आन्दोलन है. इसका किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं है. यह एक सामाजिक-राजनैतिक संघटन है जो मुस्लिम सम्प्रदाय के भीतर एक वैकल्पिक प्रगतिशील संवाद की शुरुआत करना चाहता है. यह पूरी मजबूती के साथ आधुनिक धर्म निरपेक्ष मूल्यों और लैंगिक न्याय के प्रति आस्थावान है. यह पुरातन पंथी ताकतों, पुरुष-प्रधानतावाद, कठमुल्लापन, कट्टरपन, उग्रवाद और हिंसा का घोर विरोध करता है.

हमारी नज़र में हर वह इंसान मुसलमान है जो अपने आप को मुसलमान मानता है. इस में अन्य सभी सम्प्रदायों के उन लोगों का भी खुले मन से स्वागत है जो इस मंच के विचार से सहमति रखते हैं.

आई एम एस डी क्यों?

सन दो हज़ार तीन में जब मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी (एम एस डी) शुरू हुआ तो देखा गया कि इसकी शुरुआत एक बड़े नाज़ुक समय में हुई है यानि यह वह समय था जब भारत के संविधान और लोकतंत्र में भीतरी फेर-बदल करके एक फ़ासिस्ट राजसत्ता को स्थापित करने की साज़िश ज़ोरों पर थी. आज जब हम उस संस्था की इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी (आई एम एस डी) नाम से दोबारा शरूआत कर रहें हैं तो हालात बद से बदतर हैं. पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी राजनीति का असर है. नसली और धार्मिक उग्रता उठान पर है. माहौल बेहद चिंताजनक है.

लगातार घृणा-प्रचार, इतिहास में योजनाबद्ध सांप्रदायिक बदलाव, शिक्षा का भगवाकरण, भारतीय समाज का सांप्रदायिक हिंसा तथा आतंक द्वारा ध्रुवीकरण और गहन संघटनात्मक गतिविधियाँ... ये बातें लगभग एक सदी से संघ परिवार के मानस पर छाई रहीं हैं. संघ परिवार आज भारत के आम आदमी की सोच में अपनी पैठ बनाता जा रहा है.

सरकारी संस्थाओं पर इसका कब्ज़ा है. लोकतंत्रीय संस्थानों और माध्यमों का संघ परिवार, जिसमे इसकी सांसदीय शाखा बीजेपी सबसे आगे है, बड़ी गहनता से दुरूपयोग करके लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को बदलने में लगी हुई है.

भारतीय संविधान की भीतरी संरचना को अस्त-व्यस्त करने के लिए देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, किसानों और मजदूरों का दमन संघ परिवार का एजेंडा है. मुसलमानों के खिलाफ इनके लगातार और अबाधित घृणा-प्रचार का ही यह नतीजा है कि मुसलमानों के प्रति दुर्भावना आज आम जनमानस में पैठ बना रही है.

मुसलामानों की संस्था होने के नाते, आई एम एस डी के लिए यह और भी गहरी चिंता की बात है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में और भारत के बाहर, मुसलामानों के एक वर्ग ने, जो मुसलमानों और इस्लाम के नाम पर बोलने का दावा करता है, मुस्लिम सम्प्रदाय की इमेज इस तरह बिगाड़ दी है कि सारी दुनिया को मुसलमान कट्टर, उग्रवादी, असहनशील और राष्ट्र विरोधी नज़र आते हैं जो कभी भी दूसरों के साथ मिलजुल कर रह नहीं सकते. इस्लाम और मुसलमानों का नुकसान बहुत हद तक उन संघटनों ने किया है जो उनके नाम पर दुनिया भर में आतंक फैलाए हुए हैं. बोको हरम, अल-कायदा, आई एस आई एस और उन जैसे हमारे पड़ोस में भी ऐसे ही कुछ नमूने हैं. इन्होने इस्लाम को आतंक का दूसरा नाम बना दिया है.

आज मुसलामानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस्लाम के भीतर की उदारता, सहनशीलता और एकता में अनेकता की रवायत को पुनर्जीवित करना, जिसे कट्टरवादी और उग्रवादी तबाह करना चाहते हैं. एम एस डी को इस नए नाम से शरू करने का मकसद है बराबरी, न्याय, आज़ादी, रहेमदिली, मानव अधिकार, इंसानी भाईचारे और कानूनी राज की अहमियत और मूल्यों में विश्वास जगाना.

आई एम एस डी के सिद्धान्त

आई एम एस डी उन मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए समर्पित है जो हमारे संविधान और साथ ही संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मानव अधिकार घोषणा, 1948 में दर्ज हैं. (परिशिष्ट 1 देखें)

भारतीय संविधान के मूल्यों में आई एम एस डी का विश्वास सैद्धांतिक तो है ही, साथ ही विवेकपूर्ण भी है. क्योंकि बहुसंख्यकवादी नक़्फ़ासिस्ट ताकतों के शिकार अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की सद्भावना के भरोसे सम्मान की ज़िन्दगी गुज़ारने की उम्मीद (जैसा कि आर एस एस कहता है) नहीं कर सकते. उनकी सुरक्षा है तो सिर्फ संविधान की सलामती में जो धर्म तटस्थ राजनीति, लोकतंत्र, विविधता, पक्षपातविहीनता और बराबरी के नागरिक अधिकार की गारंटी देता है. (परिशिष्ट 2 देखें)

भारतीय संविधान का हामी होना इसमें निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है... सिर्फ हिंदुत्व नहीं बल्कि सभी अलगाववादी, सांप्रदायिक दृष्टिकोणों तथा ताकतों का विरोध करना है. हर रंग, हर किस्म के साम्प्रदायिकतावादी एक दूसरे का पोषण करते हैं. हमें हिन्दू साम्प्रदायिकता से लड़ना है तो मुस्लिम साम्प्रदायिकता

और अन्य दूसरी तरह की साम्प्रदायिक राजनीति से भी उसी मजबूती से लड़ना होगा. इसके बग़ैर लड़ाई में जीतना मुमकिन नहीं होगा.

आई एम एस डी की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अपने समाज के अन्दर बनती है.

हर मज़हब का इतिहास बताता है कि एक या दो नहीं बल्कि सारे मज़हबों की कई तरह से व्याख्या हुई है. आई एम एस डी इस्लाम की उस व्याख्या के साथ है जिसका भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार घोषणा में दर्ज किये मूल्यों से तालमेल है: न्याय, बराबरी, वैयक्तिक आज़ादी, विवेकशीलता, रहेमदिली और भाईचारा. (परिशिष्ट 3 देखें)

- **धर्मनिरपेक्षता**

* धर्मनिरपेक्ष राज्य

धर्मनिरपेक्षता की परिकल्पना हर धर्माधारित राज्य की परिकल्पना के विपरीत है. वह चाहे इस्लामी राज्य हो, हिन्दू राष्ट्र हो या कोई और. क्योंकि अपनी परिभाषा से ही एक धर्माधारित राज्य नागरिक अधिकारों में बराबरी के आदर्श का विरोधी होता है. मिसाल के तौर पर, इसमें सिर्फ वही लोग देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायाधीश आदि बन सकेंगे जिनका सम्बन्ध एक धर्म विशेष से होगा. लैंगिक आधार पर किसी स्त्री को ऐसे महत्व के पदों से वंचित रखना दूसरी मिसाल होगी.

दूसरी ओर, धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोइ धर्म नहीं होता. ऐसा राज्य धर्म को राज्य से स्पष्ट रूप से अलग रखता है. वह धर्म के मामलों और राज्य के मामलों के बीच दूरी बनाकर रखता है. वह अपने हर नागरिक को विवेक की आज़ादी देता है पर वह खुद किसी भी धर्म का पक्षधर नहीं होता.

* धर्मनिरपेक्ष समाज

हमारे लोक मानस में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है हर धर्म का सम्मान. सर्व धर्म समभाव. यह सीख हमें मिली है हमारे सूफियों और भक्तिकाल के साधकों की साँझा संस्कृति से.

आई एम एस डी की नज़र में धर्मनिरपेक्षता का मतलब नास्तिकता नहीं होता, न ही धार्मिक होना साम्प्रदायिक होना है.

धर्मनिरपेक्ष होना इस विश्वास की पुष्टि करना है कि किसी भी इंसान को उसकी आज़ादी और उसके मौलिक अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता, कि हर धर्म और संस्कृति की हमें इज्ज़त करना है, कि समाज की बेहतरी की खातिर उनकी समालोचना और उनमें सुधार की ज़रुरत को हमें मानना है. सांप्रदायिक होना इस ख्याल को बल देना है कि एक धर्म विशेष के सभी लोगों के सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक हित एक सामान होते हैं जबकि दूसरे धर्म वालों के उस तरह के हित पहले के विरुद्ध होते हैं.

- **लोकतंत्र और मानव अधिकार**

लोकतंत्र का मतलब महज़ चुनाव नहीं होते, उनमें भले ही चाहे जितनी ईमानदारी बरती जाए. वोटों की गिनती के आधार पर एक बहुसंख्यक दृष्टिकोणों वाली पार्टी की सरकार बनना कुछ मुश्किल नहीं.

ऐसी हालत में UDHR और संविधान का महत्त्व और भी हो जाता है, क्योंकि दोनों खास अधिकारों और आज़ादी की गारंटी सभी नागरिकों को देते हैं. इस गारंटी में अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा समाज के दूसरे हाशिये के वर्गों के अधिकार शामिल हैं. इस गारंटी में हर नागरिक की सुरक्षा है. इन अधिकारों और आज़ादी के बिना लोकतंत्र बेमानी होगा, कहीं भी, किसी भी देश में.

- **नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य**

आई एम एस डी अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा अन्य हाशिये के वर्गों और हर आदमी के वैयक्तिक अधिकारों के प्रति सचेत तो है ही, साथ ही यह संविधान की धारा 51A में दर्ज नागरिकों के मूलभूत ज़िम्मेदारियों का भी समर्थन करता है. (परिशिष्ट 4 देखें)

आई एम एस डी की सोच

I. अल्पसंख्यक और भारत राज्य

1. सामूहिक अपराध और खुली छूट की संस्कृति

पिछले दशकों में भारत ने जो मानव संहार देखे, नेली (1983), दिल्ली (1984), मुंबई (1992-93), गुजरात (2002), कंधमाल (2007), वे पूरी तरह मानवता के विरुद्ध अपराध थे. धार्मिक अल्पसंख्यकों को जिस तरह से टारगेट किया जाता रहा है उनमें न सिर्फ तत्कालीन सरकार की सहमति और स्वीकृति थी बल्कि कुछ मामलों में उनकी भागीदारी भी थी. कई तथ्यों पर आधारित जांच रिपोर्टों से यह भी पता चला कि उनमें कई बार सांप्रदायिक शक्तियों की पुलिस ने छुपे तौर पर और खुले तौर पर मदद की. पुलिस की अनवरत पक्षपाती भूमिका उसी मसले का एक और हिस्सा है. "भीड़ आतंक" के गुंडों और उनके संचालकों को जो खुली छूट मिली उसके नतीजे मैं जन्मा "बम आतंक". और फिर इन आतंकी कारवाईयों की सुरक्षा एजेंसिओं ने जिस पक्षपातपूर्ण ढंग से जांच की वह और भी चिंताजनक है. पिछले कुछ सालों में एक कुचक्र यह चला कि एक के बाद एक मुस्लिम युवक गिरिफ्तर हुए उन पर आरोप मढ़े गए, उनको यातनाएं दी गईं, उनको घृणित ठहराया गया और फिर जब उनके केस अदालत में गए तो ज़्यादातर बरी कर दिए गए. मगर तब तक उनकी ज़िन्दगी के न जाने कितने बेशकीमती साल जेल की सलाखों के पीछे बर्बाद हो चुके थे. इन बेकसूरों और इनके परिजनों ने बेकिए गुनाह के लिए जो नरक भोगा उनकी जवाबदेही कहीं किसी पर नहीं थी. दूसरी ओर, भगवा आतंक की कार्यवाहियों में पकड़े गए हिन्दू उग्रवादी और झूठे एनकाउंटर में हत्या के दोषी पुलिस कर्मी को कानून के शिकंजे से छुड़ाने के लिए अनेक प्रयत्न किये गए.

पिछले दस साल से धर्म निरपेक्षता वादी सामाजिक कार्यकर्ता साम्प्रदायिक अपराध पर रोक लगाने वाले कानून की मांग कर रहे हैं, ऐसा कानून जो घृणा प्रचार तथा हिंसा को उकसाने वाले तथ्यों जैसी बातों पर रोक लगाए. आई एम एस डी इस मांग में उनके साथ है. यह कानून निम्न समस्याओं पर ध्यान दे और उनका समाधान तय करे.

---इतिहास में फेर-बदल द्वारा विद्यार्थियों के मन में सम्प्रदाय विशेष के विरुद्ध द्वेष-भाव पैदा करना.

--- संप्रदाय विशेष के विरुद्ध घृणा-प्रचार और उसे एक नकारात्मक छवि प्रदान करना.

--- अफवाह फैलाना.

--- सांप्रदायिक समूहों द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग.

--- अल्पसंख्यकों पर निगरानी और उनके विरुद्ध नैतिक पुलिसिंग का उपयोग.

--- पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों का साम्प्रदायिक करण.

--- कठोर कानूनों का साम्प्रदायिक दुरूपयोग.

--- ऐसे तरीके कायम हों जिनसे साम्प्रदायिकता की साजिश रचने वालों तथा साम्प्रदायिकता के अपराध में लिप्त बड़े अफसरों की ज़िम्मेदारी तय हो.

--- दंगों के शिकार लोगों के लिए पर्याप्त हर्जाना और पुनर्वास.

वर्तमान अपराध-निर्भयता की संस्कृति का खात्मा हो. "भीड़ आतंक" (mob terror) और "बम आतंक" (bomb terror) का कुचक्र तोड़ा जाये.

2. राज्य पोषित पक्षपात

सच्चर कमिटी तथा रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट से यह साफ़ हो चुका है की मुसलमानों में बढ़ते हुए शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन तथा अन्य सम्प्रदायों के मुकाबले में राजनैतिक अल्प प्रतिनिधित्व (संसद से लेकर ग्राम पंचाएतों तक) उनके विरुद्ध राज्य पोषित पक्षपात का नतीजा है. दोनों ने इस रवैये में बदलाव पर जोर दिया. अब तक कुछ नहीं हुआ

स्वयं घोषित धर्म निरपेक्ष पार्टियों के लापरवाही भरे ढुलमुल रवैये और इसके साथ संघ परिवार के घटकों काइन सिफारिशों का सदन और सदन के बाहर पुरजोर विरोध ने एक बार फिर यह सुनिश्चित कर दिया कि जैसे सामूहिक अपराध के लिए किसी को सज़ा नहीं मिलती उसी तरह मुसलमानों के साथ जो भेद-भाव चल रहा है वह चलता रहे.

आई एम एस डी इस मांग का समर्थक है कि ऐसे सुधार तथा विविधता आधारित स्पष्ट कार्यक्रम बनाए जाएँ जिनके द्वारा मुसलमानों की व्यापक ग़रीबी, शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन तथा राजनैतिक अल्प प्रतिनिधित्व जैसी बेहद गंभीर समस्याओं का समाधान निकले जैसे कि सच्चर और रंगनाथ मिश्र की सिफारिश है.

3. भारतीय मुसलमानों में जाति व्यवस्था

आई एम एस डी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि इस्लाम वर्ण तथा जाति रहित मज़हब होते हुए भी हिन्दुतान के मुसलमानों मैं अशराफ़, अज्लाफ़ और अरज़ाल के बीच ऊंच-नीच की परम्परा है. इसलिए मुस्लिम पिछड़ेपन के सिलसिले में जो सुधार नीतियां और कार्यक्रम बनें उनमें इस तथ्य को अनदेखा न किया जाए. हमरी मांग है कि हिन्दू दलितों की तरह मुस्लिम और ईसाई दलितों को भी आरक्षण का भागी बनाया जाए.

4. पाकिस्तान और देश भक्ति परीक्षा

आई एम एस डी दो-राष्ट्र की थ्योरी, जिसे जिन्ना और सावरकर जैसे लोगों ने बनाई थी, उसको पूरी तरह से नकारती है. पूरे उपमहाद्वीप में आज तक धार्मिक अल्संख्यक देश के बंटवारे की उस विडंबना का खामियाजा भोग रहे हैं. हमारा मानना है की 1971 मैं इधर बंगलादेश ने जनम लिया तो उधर दो-राष्ट्र की थ्योरी का जनाज़ा निकल गया.

भारतीय मुस्लिम अपने देश की वफ़ादारी में किसी से कम नहीं हैं. संघ परिवार जो आए दिन उनकी वफ़ादारी का सबूत माँगा करता है हम उसकी निंदा करते हैं. जिन लोगों ने आज़ादी की जंग में ज़रा सी भी भागीदारी नहीं की उन्हें दूसरों की देशभक्ति पर सवाल उठाने का हक़ नहीं है.

हालाँकि हम उस सोच को अस्वीकार करते हैं जिसके चलते देश बंटा लेकिन पाकिस्तान के वजूद की हकीकत को हमें स्वीकार करना पड़ेगा.

भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों में ज़्यादातर लोग अमन चाहते हैं. उनकी तरह आई एम एस डी भी चाहता है कि पड़ोसी देशों के बीच भाईचारा हो, लोग आपस में मिलें-जुलें और एक परमाणु हथियार मुक्त दक्षिण एशिया बने. हम उस देर-सवेर आने वाले सुनहरे वक़्त की उम्मीद और प्रतीक्षा करते हैं जब सारे सार्क (SAARC) देश मिलकर दक्षिण एशियन यूनियन बनाएँगे जिससे एक शांत और खुशहाल क्षेत्र अस्तित्व में आएगा.

II. वह बातें जो भारतीय मुसलमानों को समझनी होंगी

1. इस्लाम की उदार परम्पराओं को अपनाना, विविधता को स्वीकारना

मुसलमानों को समझना होगा कि भारत की गंगा-जमुनी तहजीब जिस पर हमें बेहद गर्व रहा है वह न होती अगर विभिन्न धर्मों के लोगों ने लोकप्रिय संस्कृति और अपने धर्मों की बुनोयादी नुक्तों के बीच के फर्क को समझा न होता.

मुसलमानों को सिर्फ ज़रुरत है ख्वाजा मुईन उद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ाम उद्दीन, बाबा शेख फरीद आदि सूफियों की रवायतों को याद करने की जिन्होंने धर्म, जाति और लैंगिकता के भेद-भाव से ऊपर उठकर इंसान को सिर्फ इंसान के

रूप में देखा और आगे बढ़कर हर किसी को गले लगाया.

सांझी सामाजिक और सांस्कृतिक रवायतें, जैसे एक जैसी जुबान, संगीत, पहनावा, खान-पान, त्यौहार आदि, विविधता वाले समाज में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अच्छे पड़ोसीपन की भावना को बल देती हैं. दुनिया भर में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि जिस समाज में अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के बीच सामाजिक मेलजोल रहता है वहां आपसी टकराव कम होता है. हम उन मुस्लिम सोचों और सगठनों के सख्ती से खिलाफ हैं जो मुसलमानों का दूसरे मज़हब वालों के साथ सामाजिक मेलजोल बढ़ाना और उनके तीज-त्योहारों में भाग लेना गुनाह मानते हैं.

आज के शहरी माहौल में जहाँ भिन्न-भिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक-दूसरे के आसपास रहते हैं वहां शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए ज़रूरी है कि लोग अच्छी नागरिकता के तकाजों, आपसी सम्मान और गुंजाइश और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की अहमियत को जानें. यह जानना हर धर्म तथा हर क्षेत्र के आदमी के लिए एक ही तरह ज़रूरी है. इस लिहाज़ से मुसलमानों को भी अपनी कुछ आदतों और तौर- तरीकों को जांचना होगा. ध्वनि प्रदूषण चाहे मस्जिद के लाउड स्पीकर से हो या मंदिर के, हमारी सांझी दुनिया के लिए दोनों ही मारक हैं. यह धर्म का नहीं बल्कि हम सब की सेहत का मामला है.

2. लैंगिक न्याय

** मुस्लिम निजी कानून में सुधार*

महिलाओं का शोषण और उनके खिलाफ ज्यादतियां भारत के हर तबके और संप्रदाय में आम है. इस स्थिति को समझते हुए आई एम एस डी न्याय और लैंगिक समानता के संवैधानिक सिद्धांत का पक्षधर है. वैसे तो हर सम्प्रदाय का पर्सनल लॉ किसी न किसी रूप में महिलाओं के साथ भेद बरतता है लेकिन हमारी फ़िक्र खास तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामलों को लेकर है.

हम मुसलमानों में तीन तलाक (झटपट तलाक), हलाला शादी, कम उम्र शादी, मुता शादी, बहु विवाह, स्त्री- खतना, यौन दासता तथा उन अन्य सभी दस्तूरों की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं जो महिलाओं के हितों के खिलाफ़ हैं. भारत या कहीं भी इनको इस्लामी नज़रिए से सही ठहराया नहीं जा सकता. कुरानी हिदायतें जो स्त्रियों की प्रतिष्ठा और बराबरी के अधिकार की हामी हैं उन्हें आप स्त्रियों को दबाने के लिए भला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं!

आई एम एस डी भारत में मुस्लिम निजी कानून में सिरे से बदलाव की मांग करता है, ऐसा बदलाव जो बराबरी, इन्साफ और आज़ादी के संविधानीय और कुरानी सिद्धांतों के मुताबिक हो. हमारी मांग है कि तीन तलाक, हलाला (प्रचलित तरीका), बहु विवाह (आज के सन्दर्भ में),स्त्री-खतना जैसी स्त्री विरोधी कुरीतियों का जल्द से जल्द कानूनी तौर पर खात्मा हो.

* धार्मिक स्थलों पर सामान अधिकार

आई एम एस डी खुले दिल से सभी धर्मों की स्त्रियों की इस मांग के साथ है कि उन्हें इबादतगाहों और दूसरे पवित्र स्थलों पर जाने का पूरा-पूरा अधिकार हो. उन्हें इस आधार पर रोका जाना कि वे स्त्री हैं, केवल उनके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के ही नहीं बल्कि लैंगिक बराबरी के आधुनिक मूल्यों के भी खिलाफ है. पैग़म्बर साहेब के ज़माने में उन्हें मस्जिद में इबादत करने की जो पूरी आज़ादी थी और जिस पर बाद में इस्लाम के पितृसत्तावादी व्याख्याकारों ने रोक लगा दी उसे हम दोबारा बहाल करने की पुरजोर मांग करते हैं, उनके दरगाहों पर जाने की आज़ादी की भी.

* स्त्री और पर्दा

हिन्दुस्तानी मुस्लिम औरतों में जो परदे की रस्म शहरी इलाकों में ख़त्म होने पर थी वह १९९० के बाद दोबारा जोर पकड़ने लगी. वे क्या पहनें, क्या नहीं, इस पर आई एम एस डी उनके फैसले की पूरी इज्ज़त करता है. कोई व्यक्ति या संगठन उनके लिए यह फैसला मज़हब के नाम पर करे और उनके न मानने पर धमकी दे या उनके लिए सजा सुनाने लगे, इसकी हम निंदा करते हैं. उनके इस झूठे प्रचार को हम कतई नहीं मानते कि औरतों के लिए पर्दा एक इस्लामी फ़र्ज़ है.

* समान नागरिक संहिता

संविधान मे दिशासूचक नियमन के धारा 44 के तहेत लिखा गया है, " राज्य इस बात के लिए प्रयासरत होगा कि समस्त क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक क़ानून हो." संघ परिवार इस धारा का बार-बार हवाला देता रहता है. लेकिन इस नियमन में जो दूसरी धाराएं हैं (38-50) उन पर वह खामोश है. असल में उसे मुस्लिम औरतों की फ़िक्र नहीं है. उसके लिए तो यह हिन्दुस्तानी मुसलामानों को ज़ेर करने का एक और बहाना है.

आई एम एस डी राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता लाने के प्रयास के खिलाफ नहीं है. हम मानते हैं की इस प्रयास में राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत और सर्वसहमति के लिए प्रोत्साहन हो जिसमें इस बात का पूरा-पूरा ख्याल रक्खा जाए कि समान नागरिक संहिता का मतलब एक धर्म, संस्कृति या परम्परा को दूसरों पर लादना न हो. ऐसी सभी कोशिशों का ध्येय सिर्फ समान न्याय ही होना चाहिए.

* महिलाओं की शिक्षा

जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा के मामले में मुस्लिम महिलाऐं पुरुषों से बहुत पीछे हैं दूसरा सच जो कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है यह भी है कि सही मौका मिलने पर वे पुरुषों से इतना ज्यादा आगे निकल जाती हैं कि उनके शैक्षिक स्तर के लड़के मिलना मुश्किल होता है.

कुछ मुल्ला किस्म के लोग इस मुश्किल का हल यह बताते हैं कि महिलाओं की तालीम पर हदें तय की जाएँ. हम इस सोच को कतई ग़लत मानते हैं. सही हल यह है कि मुस्लिम मर्द अपने आप को औरतों के बराबर लाने के लिए मेहनत करें.

3. निपटना है हमें मुस्लिम समाज में सर्वोच्चतावाद, विशिष्टता वाद, कट्टरपन, असहनशीलता, उग्रता और आतंकवाद से

** सर्वोच्चतावाद*

लोग किसी भी मज़हब को इसलिए मानते हैं कि वे उसे सही या सच्चा समझते हैं. ऐसा मानना एक बात है और सर्वोच्चतावादी होना बिलकुल दूसरीबात है. किसी को इस दावे का हक़ नहीं है कि उसका धर्म, जाति, नस्ल, जातीय समूह, लिंग, सामाजिक वर्ग, संस्कृति या विचारधारा दूसरों से सिर्फ बेहतर ही नहीं है बल्कि इस आधार पर उसे दूसरों पर हावी होने का और अपना वर्चस्व कायम करने का खुदाई हक़ है. हम प्रभुत्ववादी मुसलमानों के इसनज़रिए को नामंज़ूर करते हैं.

महान सूफी विचारक इब्न अरबी ने कहा है, "अपनी आस्था को इतना भी ख़ास न मानो कि दूसरी आस्थाएं तुम्हे अविश्वसनीय लगने लगें. ऐसा करोगे तो तुम पूरी सच्चाई को कभी समझ नहीं पाओगे. सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी अल्लाह ने अपने आप को किसी एक नस्ल तक सीमित नहीं रक्खा है. उसने कुरआन में कहा है कि जिस तरफ तुम रुख मोड़ोगे तुम्हे हम नज़र आएँगे. हर कोई उसी की तारीफ़ करता है जिसे वह जानता है. उसका खुदा उसका अपना रचा हुआ है और उसकी तारीफ़ में वह असल में खुद अपनी तारीफ़ करता है."

** विशिष्टता वाद*

जो मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान और इस्लाम सबसे अलग और खास है उनका ख्याल कुछ वैसा ही है जैसा उनके और उनके मज़हब के बारे में इस्लाम विरोधी लोगों का है. हम दोनों विचारों के खिलाफ हैं.

** तंगनजरी, कट्टरपन, असहनशीलता*

आई एम एस डी उन मुसलमानों की मानसिकता के विरुद्ध है जो बात-बात पर बहुत सारे सामाजिक आचार-व्यवहार को इंसानों का बनाया हुआ बता कर उन्हें इस्लाम विरुद्ध ठहरा देते हैं. हम उन सारे मुसलमानों पर गर्व करते हैं जिन्होंने पीढ़ी-दर-पीढ़ी जिंदगी के अलग-अलग क्षेत्रों में - संगीत, सिनेमा, आर्ट, साहित्य, चित्रकला, खेल आदि - अपनी छाप छोड़ी.

जो लोग मुसलामानों को तंग नजरी और कट्टरता सिखाते हैं उनके लिए जलाल उद्दीन रूमी की एक मसनवी पेश है. ये मसनवियाँ अनेक मुस्लिम विद्वानों की नज़र में "फ़ारसी में कुरआन" हैं.

धर्मग्रन्थ के कुँए में डूब मत जाओ,
उसके शब्दों को इस्तमाल करो तैरने के लिए.

कई लोग एक रस्सी को थामे
कुरआन और बाइबिल के भीतर लटके हुए हैं

इसमें रस्सी का क्या दोष!

रस्सी को पकड़ कर बाहर निकलो
और फिर छोड़ दो रस्सी को.

** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण*

+ परिवार नियोजन

बहुत सालों से संघ परिवार और दुसरे हिन्दू साम्प्रदायिक गुटों का लगातार यह प्रोपोगंडा है कि मुसलमान परिवार नियोजन के विरुद्ध हैं, ताकि उनकी आबादी बढ़ते-बढ़ते एक दिन इतनी बढ़ जाए कि भारत में 'अपने ही देश में' हिन्दू अल्संख्यक हो जाएं. पिछले दशकों में इस प्रोपोगंडा ने मुसलामानों की छवि को गहरी चोट पहुंचाई है. आंकड़ों से पता चलता है कि मुसलमान सचमुच परिवार नियोजन अपनाने में किसी हद तक पिछड़े रहे हैं, मगर यह अंतराल अब कम हो रहा है. भारत और भारत के बाहर हुए अनेक अध्ययन बताते हैं कि परिवार छोटा रखने की मानसिकता का गहरा सम्बन्ध परिवार की आर्थिक और शैक्षिक हालात से होता है.

एक विडंबना यह है कि परिवार नियंत्रण करने वाले मुसलामानों की संख्या एक तरफ बढ़ रही है तो दूसरी तरफ हमारे कई मौलाना लोग हैं जो परिवार नियोजन को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं. हम संघ परिवार के झूठे प्रोपोगंडे का निषेध करते हुए उन तथाकथित इस्लाम के जानकारों पर भी सवाल उठाते हैं जो मुसलामानों को परिवार नियोजन के खिलाफ उकसाते हैं. हकीकत यह है कि इस्लाम परिवार सीमित रखने का प्रोत्साहन देता है. इसका कारण औरतों की सेहत, आर्थिक सीमा और परिवार का सुख वगैरह हैं.

+ रोगविरोधी टीके

हम बच्चों के लिए रोगविरोधी टीका कार्यक्रमों की पूरी सराहना करते हैं. हम इस विचार से पूरी तरह असहमत हैं कि यह मज़हब के खिलाफ है या यह कि मुसलामानों की जनन क्षमता को कमज़ोर बनाने की यह कोई गुप्त साजिश है.

** मज़हबी मामलों में सरकारी सहायता*

हज पर जाने वाले मुसलमानों को सरकारी सहायता दिया जाना बार-बार मुस्लिम तुष्टिकरण की एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है. अनेक धार्मिक और राजनैतिक मुस्लिम नेता भी इस सहायता से असहमति जता चुके हैं. उनका कहना है हज उन्ही लोगों पर फ़र्ज़ है जो हैसियत रखते हैं. इसलिए उनकी नज़र में सरकारी अनुदान 'ग़ैरइस्लामी' है और इसे ख़त्म होना चाहिए. हमारा कहना है कि केवल हज ही नहीं बल्कि हर मज़हबी गतिविधि को सरकारी सहायता से दूर रखना चाहिए.

* *अपराध और दंड*

+ स्वधर्मत्याग और कुफ्र

एक धर्म निर्पेक्ष देश में कानून होते हैं जो अपराध की परिभाषा तय करते हैं और उनकी सजा भी. लेकिन पाप या गुनाह की बातें वे अपने दायरे से बाहर रखते हैं. स्वधर्मत्याग और कुफ्र के मामले अल्लाह के सामने गुनाह हो सकते हैं लेकिन धर्म निर्पेक्ष राज्य उन्हें सजा के लायक नहीं मान सकता. जिन्हें लगता है कि किसी बात से उनकी धार्मिक भावना को चोट पहुंची है तो उन्हें शान्ति और लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध जताने का हक़ है लेकिन अगर उन्हें क़ानून अपने हाथ में लेने दिया जाता है तो इसके नतीजे होंगे नैतिक पोलिसिंग, दूसरों की निगरानी और भीड़ की गुंडागर्दी. एक मुस्लमान को इस्लाम छोड़ने का उतना ही हक़ है जितना किसी ग़ैर-मुस्लिम को इस्लाम अपनाने का. हम स्वधर्म त्याग (मुर्तद) पर मौत की सजा का विरोध करते हैं. लोगों को हर धर्म की जांच-परख, टीका-टिप्पणी और व्यावहारिकता पर सवाल उठाने का हक़ है और इसे कुफ्र कहकर उनको ख़ामोश नहीं किया जा सकता. मुस्लिम समाज में एक हवा यह चल निकली है कि सारे मुस्लिम इस्लाम की अपनी-अपनी व्याख्या के आधार पर एक दूसरे को काफिर ठहराते हैं. मुस्लिम समाज में अंतर आस्था संवाद कायम करने और मुक्त विचारों के आदान-प्रदान की परम्परा विकसित करने के रास्ते में यह कुफ्र का हौव्वा सबसे बड़ी बाधा है. कुफ्र का ख्याल ही मुसलमानों के बीच ऐसा माहौल बनाता है जिसमें लोग मज़हब के मामले में न तो आलोचनात्मक सवाल कर सकते हैं और न बौद्धिक विचार-विमर्श करने की हिम्मत करते हैं.

+ समलैंगिक वर्ग

जो लोग समलैंगिकता को बहुत बड़ा गुनाह मानते हैं उन्हें ऐसा सोचने का हक़ है. लेकिन आई एम् इस डी समलैंगिकों के प्रति घृणा और समलैंगिकता के अपराधीकरण के ख़िलाफ़ है. इसलिए हम धारा 377 को हटाने की मांग का समर्थन करते हैं.

+ अमानवीय सज़ाएँ और मृत्यु दंड

आई एम एस डी सभी तरह के मध्ययुगीन दण्डों के खिलाफ है: कोड़े मारना, हाथ काटना, पत्थर मारना, सूली पर लटकाना . . .हम मौत की सजा का भी विरोध करते हैं जिस पर सौ से अधिक देशों में पाबंदी लग चुकी है.

* *उग्रवाद / आतंकवाद*

हमारा मानना है कि किसी भी झगड़े या मतभेद का हल हिंसा नहीं हो सकता, मामला चाहे सामाजिक-आर्थिक हो, राजनैतिक या सांस्कृतिक हो या फिर धार्मिक हो. हम हर तरह के आतंक की निंदा करते है, और राज्यों और राष्ट्रों द्वारा चलाए जाने वाले आतंक की भी. जो दल या व्यक्ति आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त हैं या उनका पोषण करते हैं या उनको सही ठहराते हैं, हम उन सब के खिलाफ हैं. आतंक कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में न्यायसंगत नहीं हो सकता.

हमारे तरीके

* जन-वकालत

* मीडिया संपर्क

* मत तैयार करना

* साझेदारी

आई एम एस डी भारत, उपमहाद्वीप और पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक समूहों के साथ ताल-मेल द्वारा और उनके सहयोग से अपने बीच की उन सारी शक्तियों को चुनौती देगा जो धार्मिक असहनशीलता, अलगाववाद, उग्रवाद, भीड़ आतंक (mob terror) और बम आतंक (bomb terror) का प्रचार-प्रसार करते हैं और अपना मक़सद हिन्दू राष्ट्र या इस्लामी राज्य की स्थापना रखते हैं.

परिशिष्ट 1: संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मानव अधिकार घोषणा, 1948

संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के नीचे दिए अनुच्छेदों पर विशेष धयान दें:

अनुच्छेद 1: सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अन्तरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए.

अनुच्छेद 2: सभी को इस घोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और आज़ादियों को प्राप्त करने का हक़ है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचारप्रणाली-, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, सम्पत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जाएगा.

अनुच्छेद 5: किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाएगी और न किसी के भी प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा.

अनुच्छेद 7: क़ानून की निग़ाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान क़ानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं. यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेद-भाव किया जाए उस प्रकार के भेद-भाव को किसी प्रकार से उकसाया जाए, तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है.

अनुच्छेद 18: प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तरात्मा और धर्म की आज़ादी का अधिकार है. इस अधिकार के अन्तर्गत अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप में अथवा निजी तोर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा, क्रिया, उपासना, तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतन्त्रता है.

अनुच्छेद 19: प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार है. इसके अन्तर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम के ज़रिए से तथा सीमाओं की परवाह न कर के किसी की सूचना और धारणा का अन्वेषण, प्रहण तथा प्रदान सम्मिलित है.

परिशिष्ट 2: भारत का संविधान

भारतीय संविधान के नीचे दिए अनुच्छेदों पर विशेष धयान दें:

समता का अधिकार

अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता -- राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा.

अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध -- राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा.

स्वातंत्र अधिकार

अनुच्छेद 19: वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण - (1) सभी नागरिकों को -
(क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,
(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,
(ग) संगम या संघ बनाने का,

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

अनुच्छेद 21: किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं.

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता लोक -- व्यवस्था, सदाचार और स्वास्नय तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा.

संविधान में अनुच्छेद 26, 29 और 30 भी मौलिक अधिकारों से सम्बंधित हैं जो अल्पसंख्यकों के धर्म और सांस्कृतिक प्रथाओं के हिफाजत का आश्वासन देते हैं. मगर हमारा मानना है की इन अनुच्छेदों के आड़ मैं अगर कोई समूह किसी भी नागरिक या नागरिकों के वैयक्तिक मौलिक अधिकारों और स्वातंत्र को धर्म या परंपरा के नाम पर नकारता है तो यह सरासर सार्वभौमिक मानव अधिकार के उसूलों की खिलाफवर्जी है जो आई एम् एस डी को अस्विकार है.

परिशिष्ट 3: कुरान

कुरान की इन आयतों पर विशेष धयन दें:

बहुलवाद और विविधता: "ऐ लोगो! हमनें तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और क़बिलों का रूप दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो" (सूरह *49*:अल-हुजरात:*13*); "और अगर ख़ुदा चाहता तो इन सबको एक ही गिरोह बना देता" (सूरह 42:अश-शूरा:8).

प्राण का संरक्षण: "... और किसी की, जिस के क़त्ल को ख़ुदा ने हराम किया है, जान न लेना, सिवाए ऐसी हालात में जहाँ यह न्याय का तक़ाज़ा हो. यह वह बातें हैं जिनका ख़ुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है ताकि तुम लोग समझो (सूरह 6:अल-अनाम:151); "जिस शख्स ने किसी का नाहक़ क़त्ल कर डाला (न जान के बदले में और न मुल्क में फ़साद फैलाने की सज़ा में) तो गोया उसने सारे लोगों को क़त्ल कर डाला; और जिसने एक आदमी की भी जान बचाई तो गोया उसने सारे लोगों की जान बचाई (सूरह 5:अल-माएदा:32).

न्याय का अधिकार: न्याय के सन्दर्भ में कुरान में दो उसूलों पर ज़ोर दिया गया है: अद्ल (न्याय) और इहसान (दया): "ऐ ईमानवालों, मज़बूती के साथ इन्साफ़ पर क़ायम रहो और ख़ुदा के लिये गवाही दो अगरचे (ये गवाही) ख़ुद तुम्हारे, या तुम्हारे मॉ बाप, या क़राबतदारों के खिलाफ़ (ही क्यों) न हो; ख्वाह मालदार हो या मोहताज (क्योंकि) ख़ुदा तो (तुम्हारी बनिस्बत) उनपर ज्यादा मेहरबान है; तो तुम (हक़ से) कतराने में ख्वाहिशे नफ़सियाती की पैरवी न करो और अगर घुमा फिरा के गवाही दोगे या बिल्कुल इन्कार करोगे तो (याद रहे जैसी करनी वैसी भरनी क्योंकि) जो कुछ तुम करते हो ख़ुदा उससे ख़ूब वाक़िफ़ है" (सूरह 4:अल-निसा:135).

“ऐ ईमानवालों ख़ुदा (की ख़ुशनूदी) के लिए इन्साफ़ के साथ गवाही देने के लिए तैयार रहो**;** और तुम्हें किसी क़बीले की अदावत इस जुर्म में न फॅसवा दे कि तुम नाइन्साफी करने लगो (ख़बरदार बल्कि) तुम (हर हाल में) इन्साफ़ करो**.** (सूरह **5**:अल-माएदा:8).

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार: धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कुरान की तालीम बिलकुल स्पष्ट है: "दीन में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं" (सूरह 2:अल-बक़रह:256); "जो चाहे माने और जो चाहे न माने" (सूरह 18:अल-कहफ़:**29**); "फ़ैसला (सही और ग़लत का) तो केवल ख़ुदा ही के वास्ते ख़ास है" (सूरह 12:यूसुफ़:40); "(ऐ रसूल) हमने तुमको उनका निगेहबान बनाकर नहीं भेजा, तुम्हारा काम तो सिर्फ (एहकाम का) पहुँचा देना है" (सूरह 42:अश-शूरा:48); "अगर तेरा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग रुए ज़मीन पर हैं सबके सब ईमान ले आते; क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो ताकि सबके सब ईमान वाले हो जाएँ?" (सूरह **10**:यूनुस:**99**); "तो तुम्हारा

फर्ज सिर्फ (एहकाम का) पहुँचा देना है" (सूरह **16**:अल-नहल:82); "और अगर ख़ुदा चाहता तो ये लोग किसी और को (उसके साथ) शरीक ही न करते, और हमने तुमको (रसूल को) उन लोगों का निगेहबान तो बनाया नहीं है, और न तुम उनके ज़िम्मेदार हो" (सूरह **6**:अल-अनम:**107**).

आई एम् इस डी का मानना है की कुरान का आदेश, "दीन में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं" (सूरह 2:अल-बक़रह:256) केवल औरों पर ही नहीं मुसलमानों पर भी लागू होता है. जहां यह सच है कि जो लोग इस्लाम धर्म को त्याग कर मुसलमानों के खिलाफ जंग करते हैं उन्हें दुश्मन और हमलावर ठहराया गया है, वहीं यह भी सच है कि कुरान में इस्लाम धर्म को न मानने या उसे त्याग करने वालों के लिए कोई सज़ा निर्धारित नहीं की गयी है.

परिशिष्ट 4: नागरिकों के मूल कर्तव्य

भारतीय संविधान के नीचे दिए अनुच्छेद पर विशेष धयान दें:

अनुच्छेद 51A: भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -
(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

परिशिष्ट 5: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

भारतीय संविधान के नीचे दिए अनुच्छेदों पर विशेष धयान दें:

अनुच्छेद 38: राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा— 1(1)] राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा.

अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्त्व-राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से --

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;
(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;
(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए.

अनुच्छेद 39A: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता -- राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योषयता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा.

अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार -- राज्य अपनी आर्थिक सामनर्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा.

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध -- राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा.

अनुच्छेद 43: कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि -- राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा.

अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना -- राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा.

अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता -- राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा.

अनुच्छेद 47: पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्नय का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य.